



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार

पत्रांक:- 59 / 17 / अधि०नियुक्ति / अधि० / 2015-16

दिनांक:- 18 नवम्बर, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से सम्बन्धित वादों की माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष मामलों में आवश्यकतानुसार पैरवी किये जाने के दृष्टिगत अधिवक्ता सुश्री रचना श्रीवास्वत को, आयोग के विशेष अधिवक्ता के रूप में दिनांक 21.11.2022 से 03 वर्ष की अवधि हेतु अथवा अग्रिम आदेशों तक, नियुक्त किये जाने की मा० अध्यक्ष द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

भवदीय,

(जी०एस०रावत)
सचिव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव मा० अध्यक्ष को मा० अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव / अपर निजी सचिव मा० सदस्यगण को मा० सदस्यगण के अवलोकनार्थ।
3. सचिव / परीक्षा नियंत्रक / विधि सलाहकार / वित्त नियंत्रक / उप सचिव।
4. अनुसचिव-1 / 2 / 3 / 4।
5. समस्त अनुभाग अधिकारीगण / अनुभाग अधिकारी लेखा / व्यवस्था अधिकारी / लाईब्रेरियन ग्रेड-2 को अनुपालनार्थ।
6. आई टी अनुभाग को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

भवदीय,

(जी०एस०रावत)
सचिव।